//प्रेस विज्ञप्ति//

एक्सटेंशन रिफार्म्स "आत्मा" योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2017

जिले में सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स "आत्मा" योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17) में कृषि एवं सम्बद्ध विभाग (पशुपालन, उद्यान एवं मत्स्यपालन) के प्रगतिशील कृषकों को जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय **उन्नत कृषक पुरस्कार** से सम्मानित किया जाना है। जिसके अंतर्गत राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय चयनित कृषकों को क्रमशः 50 हजार, 25 हजार एवं 10 हजार नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। जिला स्तर पर (कृषि क्षेत्र से 02 धान्य फसल, 1 दलहन, 1 तिलहन फसल के उत्कृष्ट कृषक, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग से 2–2 कृषक) एवं जिले में प्रत्येक विकासखंड से 5–5 (कृषि क्षेत्र से 2 उद्यान, मत्स्य एवं पशुधन विभाग से 1–1) कृषकों को पुरस्कृत किया जाना है। इस प्रकार जिले से कुल 55 कृषक पुरस्कृत होंगे।

इस पुरस्कार के लिए जिले के किसानों से निर्धारित प्रपत्र में संबंधित विकासखण्ड स्तर पर 31 अगस्त 2017 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन का प्रारूप जिले में प्रोजेक्ट डायरेक्टर "आत्मा" एवं उप संचालक कृषि या विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा जिले की वेबसाईड **www.rajnandgaon.gov.in** से डाऊनलोड कर सकते है। जिले के ऐसे किसान जिन्होने नवाचारी उन्नत तकनीकों को अपनाकर उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिनकी फसल संघनता 200 प्रतिशत् से अधिक हो तथा जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एवं जलसंरक्षण, फल–फूल एवं सब्जी के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुट पालन एवं मत्स्योपादन में उल्लेखनीय कार्य किया हो इस पुरस्कार के लिए आवेदन भेज सकते है। पूर्व वर्षों में योजनान्तर्गत कृषक पुरस्कार से सम्मानित कृषक यदि पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आवेदन करता है, तो मान्य नहीं किया जावेगा।

ऐसे किसान जो उपलब्ध कृषि संसाधनों का समुचित उपयोग करते हो और कृषि विपणन में जिन्होनें उल्लेखनीय कार्य किया हो, वे भी इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टि दे सकते हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले किसान को पिछले 10 वर्षो से छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य करना और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। किसानों को पुरस्कार के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में एवं संबंधित फसलों के फोटो ग्राफ तथा आवेदक कृषक का पासपोर्ट आकार का फोटो ग्राफ्स सहित संबंधित विकासखंड कार्यालय में जमा करना होगा। **31 अगस्त 2017** कार्यालयीन समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यालय प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर "आत्मा" एवं उप संचालक कृषि, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्र/आत्मा/2017–18/3740 राजनांदगांव दिनांक 09.8.17

प्रतिलिपि :–

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, राजनांदगांव कृपया दैनिक समाचार प्रत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर "आत्मा"
एवं उप संचालक कृषि,
राजनांदगांव

F:\agri_new_com\ATMA\G Lettar 106